

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 394 / 2013

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 394 / 2013

संस्थापित दिनांक 04 / 07 / 2013

फाईलिंग नम्बर 23030303008682013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. रघुवीर पुत्र हरीराम कुशवाह उम्र 27 साल
व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम विलाव पुलिस
थाना उमरी, जिला भिण्ड हॉल रघुवीर बघेल
का मकान मातादीन पुरा पुलिस थाना देहात
भिण्ड म0प्र0
2. छोटे उर्फ घुटलली उर्फ मातादीन पुत्र धनीराम
जाटव उम्र-30 साल व्यवसाय मजदूरी निवासी-
ग्राम सुखवासी का पुरा थाना उमरी, जिला भिण्ड
म0प्र0
3. मनोज पुत्र जगन्नाथ जाटव फरार

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा-457, 380 भा0 द0 स0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपी रघुवीर द्वारा अधिवक्ता-श्री ए0के0 समाधिया।)
(आरोपी छोटे उर्फ मातादीन द्वारा अधिवक्ता-श्री ए0के0 पचौरी।)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 12 / 1 / 2017 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 20-21 / 01 / 13 की रात्रि करीब 1:00 बजे ग्राम खनेता में फरियादी कुलवीर सिंह के हार में बने कमरे में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित करने एवं उसी समय फरियादी कुलवीर सिंह के कमरे से उसके आधिपत्य से एक मोटर पम्प स्टार्टर, तार करीब 300 फुट कुल कीमत लगभग

21,000/-रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भादस की धारा 457 एवं 380 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी कुलवीर सिंह ग्राम बूटी कुईया का रहने वाला हैं करीब आधा कि०मी० की दूरी पर उसका हार है जिसमें ट्यूबवैल लगा है वहां पर उसकी पानी की मोटर एक स्टार्टर एक केवल तार करीब 200 फुट जो कि सरदूल सिंह का है उसके ट्यूबवैल पर बने कमरे के अंदर रखे थे कमरे में ताला पड़ा था दिनांक 20-21 की रात्रि में कोई अज्ञात चोर कमरे का ताला और कुन्दी तोड़कर अंदर घुसकर उक्त सामान को चुराकर ले गया था रास्ते में करीब डेढ़ बजे वह खेत में पानी देखने गया था तो उसने देखा था कि कमरे का ताला टूटा पड़ा था उसमें रखा सामान कीमत लगभग 21,000/-रुपये गायब था। घटना करीब 1:00बजे की है उसे गांव के भीमा जाटव पर संदेह है क्योंकि भीमा जाटव रात्रि 11:00बजे उसे रोड पर घूमता हुआ दिखा था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद चौराहा में अप०क्र०19/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 20-21/01/13 की रात्रि करीब 1:00बजे ग्राम खनेता में फरियादी कुलवीर सिंह के हार में बने कमरे से फरियादी कुलवीर सिंह के आधिपत्य से एक मोटर पम्प स्टार्टर एवं तार की चोरी की?

2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी कुलवीर सिंह के हार में बने कमरे में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी कुलवीर सिंह आ०सा०1, सरदूल सिंह आ०सा०2, आरक्षक मनोज शुक्ला आ०सा०3, चन्द्रभान आ०सा०4 ए०एस०आई सुभाष पांडे आ०सा०5, आरक्षक उमेश शर्मा आ०सा०6 एवं प्र०आ०० ब्रजराज आ०सा०7 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

07. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी कुलवीरसिंह आ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि घटना दिनांक 21-10-13 की रात्रि लगभग 12:00 बजे की है। आरोपीगण ने चक खनेते में उसके ट्यूबवैल पर मकान का ताला तोड़ा था एवं उसके अंदर ट्यूबवैल मोटर स्टार्टर केवल था। आरोपीगण ने उक्त सामान की चोरी कर ली थी वह रात को गेहू में पानी देने गया था तब उसने देखा था कि दो लोग भाग गये थे उसने मौके पर रघुवीर को पकड़ लिया था जब वह लोग चिल्लाये थे तो सरदूल सिंह मौके पर आ गया था उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा पर की थी जो प्र0पी01 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्र0पी02 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने रघुवीर से एक मोटर व स्टार्टर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी03 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मेमोरेण्डम प्र0पी04 के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र03 में उक्त साक्षी का कहना है कि रिपोर्ट उसने थाने पर लिखाई थी उसने रिपोर्ट में आरोपीगण के नाम नहीं बताये थे रिपोर्ट उसने बोलकर लिखाई थी रिपोर्ट पुलिस ने बाद में पढ़कर सुनाई थी। उसने प्र0पी01 की रिपोर्ट में चोरी करने वालों के नाम लिखा दिये थे जो चोर पकड़ा गया था उसने अपने दूसरे साथियों के नाम बताये थे। पद क्र04 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि आरोपी मातादीन को न तो उसने देखा था न ही वह उसे जानता है।

09. साक्षी सरदूल सिंह आ0सा02 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन कुलवीर सिंहजोर से चिल्लाया था तो वह अपने खेत से भागकर कुलवीर सिंह के खेत में पहुंचा था कुलवीर सिंह एक आदमी को पकड़े हुये था मौके पर कई लोग आ गये थे फिर रात को खबर की थी तो पुलिस आकर उसे ले गई थी पुलिस ने सुबह आरोपी से एच0पी0 की मोटर, स्टार्टर और केवल बरामद किया था मौके पर पुलिस को चोर की डायरी पड़ी हुई मिली थी। जप्ती पंचनामा प्र0पी03 मेमोरेण्डम प्र0पी04 के क्रमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. जप्तीकर्ता ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा05 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 21/01/13 को फरियादी कुलवीर सिंह की सूचना पर प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने आरोपी रघुवीर से पूछताछ कर प्र0पी04 का मेमोरेण्डम बनाया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने आरोपी रघुवीर से पानी की मोटर एवं स्टार्टर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी रघुवीर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. आरक्षक मनोज शुक्ला आ0सा03 ने भी अपने कथन में दिनांक 22/1/13 को सुभाष पांडे एवं सैनिक चन्द्रभान के साथ ग्राम बूटी कुईया जाने एवं ग्राम बूटी कुईया में हार के पास कूल के बगल से आरोपी रघुवीर से पानी की मोटर व स्टार्टर जप्त करना बताया है। उक्त साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र0पी05 के एसेए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है।

12. साक्षी चन्द्रभान आ0सा04 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 22/1/13 को ए0एस0आई सुभाष पांडे ने आरोपी से बूटी कुईया के कूल के पास झाड़ी में एक स्टार्टर एक मोटर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. आरक्षक उमेश शर्मा आ0सा06 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 18/12/13 को ए0एस0आई ए0एस0तोमर ने न्यायालय परिसर में आरोपी छोटे उर्फ छुटलली को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी07 बनाया था एवं आरोपी छोटे उर्फ छुटलली से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम प्र0पी08 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. प्र0आ0ब्रजराज आ0सा07 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 18/11/13 को न्यायालय परिसर में आरोपी छोटे उर्फ छुटलली उर्फ मातादीन जाटव को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी07 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने आरोपी से पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्र0पी08 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हैं।

16. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी रघुवीर को जानता है छोटे को नहीं जानता है घटना दिनांक को आरोपीगण ने चक खनेते में उसके ट्यूबवैल पर मकान का ताला तोड़ा था तथा उसके अंदर रखी ट्यूबवैल की मोटर स्टार्टर एवं केवल की सामान की चोरी की थी वह रात को गेहूं में पानी देने गया था तब उसने देखा था कि दो लोग भाग गये थे रघुवीर को मौके पर पकड़ लिया था उसके चिल्लाने पर सरदूल सिंह भी मौके पर आ गया था। सरदूल सिंह आ0सा02 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाली रात्रि करीब 12:00 बजे कुलवीर सिंह के चिल्लाने पर वह कुलवीर सिंह के खेत पर पहुंचा था तो कुलवीर सिंह एक आदमी पकड़े हुये था वह आदमी बचाव बचाव चिल्ला रहा था। मौके पर कई लोग आगये थे और उसे ढेर लिया था रात में खबर की थी तो पुलिस उसे ले गई थी पुलिस ने सुबह आरोपी से माल बरामद किया था। इस प्रकार फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 एवं सरदूल सिंह आ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में यह बताया है कि उन्होंने आरोपी रघुवीर को मौके पर ही पकड़ लिया था सरदूल सिंह आ0सा02 द्वारा यह भी बताया गया है कि घटना दिनांक को रात में ही पुलिस आकर रघुवीर को ले गई थी परन्तु उक्त तथ्य का उल्लेख प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं हैं। फरियादी कुलवीर सिंह द्वारा प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लिखाई गई है एवं उक्त रिपोर्ट में वर्णित अनुसार फरियादी भीमा जाटव पर चोरी का संदेह जताया है। फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसने मौके पर चोरी करते समय रघुवीर को पकड़ लिया था एवं दो लोग मौके से भाग गये थे परन्तु यह बात उसके द्वारा प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताई गई है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 के कथन प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से पुष्ट नहीं रहे हैं। फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क03 में यह बताया है कि उसने रिपोर्ट करते समय आरोपीगण के नाम नहीं बताये थे तथा रिपोर्ट पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाई थी तथा यह भी व्यक्त किया है कि उसने अपनी रिपोर्ट में भीमा जाटव का नाम लिखाया था। यदि वास्तव में फरियादी कुलवीर सिंह ने आरोपी रघुवीर को मौके पर पकड़ लिया था तो उसके द्वारा आरोपी रघुवीर का नाम प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखाया गया इसका कोई स्पष्टीकरण फरियादी कुलवीर द्वारा नहीं दिया गया है। यदि उसने मौके पर आरोपी रघुवीर को पकड़ लिया था तो उसने अपनी

रिपोर्ट में भीमा जाटव का नाम क्यों लिखाया था उक्त संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण फरियादी द्वारा नहीं दिया गया है। फरियादी कुलवीर आ0सा01 के कथन उक्त बिन्दु पर प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं उक्त तथ्य अत्यन्त तात्त्विक है जो संपूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद बना देता है।

17. साक्षी सरदूल सिंह आ0सा02 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि रात में ही पुलिस आकर आरोपी को ले गई थी जबकि गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 में आरोपी रघुवीर को दिनांक 22/1/13 को 13:30 बजे थाना गोहद चौराहा से गिरफ्तार किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर साक्षी सरदूल सिंह आ0सा02 के कथन प्र0पी06 के गिरफ्तारी पंचनामों से पुष्ट नहीं रहे हैं।

18. फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 एवं सरदूल सिंह आ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण द्वारा मौके पर ही आरोपी रघुवीर को पकड़ लेना बताया गया है एवं सरदूल सिंह आ0सा02 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि घटना वाले दिन रात में ही पुलिस आरोपी रघुवीर को ले गई थी परन्तु उक्त तथ्यों का उल्लेख प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह दर्शित नहीं होता है कि आरोपी रघुवीर को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी रघुवीर को दिनांक 22/1/13 को थाना गोहद चौराहा से गिरफ्तार किया गया था इस प्रकार फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 एवं सरदूल सिंह आ0सा02 के कथन प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र0पी06 के गिरफ्तारी पंचनामों से पुष्ट नहीं रहे हैं ऐसी स्थिति में फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 एवं सरदूल सिंह आ0सा02 के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

19. जहां तक ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा05 के कथन का प्रश्न है तो ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा05 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने आरोपी रघुवीर से पूछताछ कर प्र0पी04 का मेमोरेडम बनाया था तथा यह भी व्यक्त किया है कि उसने आरोपी रघुवीर से पानी की मोटर एवं स्टार्टर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 बनाया था। आरक्षक मनोज शुक्ला आ0सा03 एवं चन्द्रभान आ0सा04 जो कि जप्ती पंचनामा प्र0पी05 के साक्षी हैं ने भी जप्तीकर्ता ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा05 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपी से स्टार्टर और मोटर जप्त होने बाबत प्रकटीकरण किया है।

20. इस प्रकार ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा05 के कथन एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 मेमोरेडम प्र0पी04 तथा जप्ती पंचनामा प्र0पी05 के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त दस्तावेजों के अनुसार आरोपी रघुवीर को दिनांक 22/1/13 को गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपी रघुवीर से दिनांक 22/1/13 को 13:15 बजे चोरी के संबंध में पूछताछ की गई थी एवं आरोपी रघुवीर के बताये अनुसार जप्ती पंचनामा प्र0पी05 के अनुसार आरोपी रघुवीर से पानी की मोटर एवं स्टार्टर जप्त की गई थी ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा05 ने अपने कथन में आरोपी रघुवीर को दिनांक 22/1/13 को गिरफ्तार करना बताया है जबकि फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 एवं सरदूल सिंह आ0सा02 का कहना है कि उन्होंने घटना दिनांक अर्थात् 20-21/1/13 की रात्रि में ही आरोपी रघुवीर को मौके पर पकड़ लिया था एवं उसी समय पुलिस को दे दिया था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी कुलवीर आ0सा01 एवं सरदूल सिंह आ0सा02 के कथन ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा05 के कथन से विरोधाभासी रहे हैं।

21. फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 द्वारा यह बताया गया है कि उसने आरोपी रघुवीर को

चक खनेते में उसके ट्यूबवैल पर घटना के वक्त ही पकड़ लिया था एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी05 के अनुसार आरोपी से बूटी कुईया के हार कूल के पास पानी खींचने की मोटर और स्टार्टर जप्त किये जाने का उल्लेख है। यदि फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 एवं सरदूल सिंह आ0सा02 ने आरोपी रघुवीर को मौके पर ही पकड़ लिया था तब फिर उसके द्वारा उक्त मोटर एवं स्टार्टर को किस प्रकार ग्राम बूटी कुईया के हार कूल के पास छिपाया गया उक्त संबंध में कोई स्पष्टीकरण फरियादी कुलवीर आ0सा01 एवं सरदूल आ0सा02 द्वारा नहीं दिया गया है। उक्त तथ्य अत्यन्त तात्विक है जो कि संपूर्ण अभियोजन कार्यवाही के प्रति संदेह उत्पन्न कर देता है।

22. जहां तक आरोपी छोटे उर्फ छुटटली उर्फ मातादीन का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपी छोटे उर्फ छुटटली से प्रकरण में कोई जप्ती नहीं हुई है। आरक्षक उमेश शर्मा आ0सा06 एवं प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा07 ने आरोपी छोटे उर्फ छुटटली उर्फ मातादीन को न्यायालय परिसर में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी07 बनाया जाना एवं न्यायालय परिसर में ही आरोपी से पूछताछ कर मेमोरेंडम प्र0पी08 तैयार करना बताया है परन्तु प्र0पी08 के मेमोरेंडम के अनुशरण में कोई जप्ती नहीं हुई है ऐसी स्थिति में प्र0पी08 के मेमोरेंडम का कोई औचित्य नहीं है। प्र0पी08 के मेमोरेंडम में आरोपी छुटटली ने पानी की मोटर और स्टार्टर रघुवीर कुशवाह के पास होना बताया है उक्त मेमोरेंडम दिनांक 18/12/13 को लिया गया है जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी रघुवीर से दिनांक 22/1/13 को पानी की मोटर और स्टार्टर जप्त की जा चुकी थी क्योंकि प्र0पी08 के मेमोरेंडम के अनुशरण में कोई जप्ती नहीं हुई है ऐसी स्थिति में प्र0पी08 के मेमोरेंडम का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण में आरोपी छोटे उर्फ छुटटली उर्फ मातादीन से कोई सम्पत्ति जप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आरोपी छोटे उर्फ छुटटली को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

23. जहां तक आरोपी रघुवीर का प्रश्न है तो आरोपी रघुवीर के संबंध में फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01, सरदूल सिंह आ0सा02, आरक्षक मनोज शुक्ला आ0सा03, चन्द्रभान आ0सा04 एवं ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा05 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर अत्यन्त विरोधाभासी रहे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही भी नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में यह भी संदेहास्पद हो जाता है कि जो मोटर एवं स्टार्टर अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी रघुवीर से जप्त करना बताये गये हैं वह फरियादी कुलवीर सिंह से हैं। उपरोक्त सभी तथ्य अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देते हैं।

24. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में चोरी की रिपोर्ट अज्ञात में की गई है। प्रकरण में फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01, सरदूल सिंह आ0सा02, मनोज शुक्ला आ0सा03, चन्द्रभान आ0सा04, ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा05 के कथन परस्पर तात्विक बिन्दुओं पर विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी विरोधाभासी रहे हैं। जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद है शिनाख्ती कार्यवाही भी नहीं कराई गई है। प्रकरण में आरोपी छोटे उर्फ छुटटली उर्फ मातादीन से कोई जप्ती नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

25. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे

प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

26. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 20-21/1/13 की रात्रि करीबन 1:00बजे ग्राम खनेता मे फरियादी कुलवीर सिंह के हार मे बने कमरे में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रछन्न गृह अतिचार कारित किया एवं उसी समय फरियादी कुलवीर सिंह के कमरे से उसके आधिपत्य से एक मोटर पम्प,स्टार्टर,तार कुल कीमत 21,000 /-रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी रघुवीर सिंह एवं आरोपी छोटे उर्फ छुटटली उर्फ मातादीन को संदेह का लाभ देते हुये उन्हें भादस की धारा 457 एवं 380 के आरोप से दोषमुक्त करती हैं।

27. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

28. यह उल्लेखनीय हैकि प्रकरण में आरोपी मनोज फरार है। अतः प्रकरण मे जप्तशुदा सम्पत्ति एवं प्रकरण का मूल अभिलेख सुरक्षित रखा जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 12-1-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)